

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 17/2020

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी
निवासी काठडियों का चौक, साबु की बारी, नागौर।
फर्म-माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर।
2 राधा देवी पत्नी आसकरण
निवासी मून्दडो का बास, देशनोक, तहसील व जिला बीकानेर।
फर्म-मैसर्स रिद्धी सिद्धी ट्रेडर्स, 12 ब्लॉक वीर सावरकर मण्डोर मण्डी जोधपुर।

आदेश

दिनांक : 25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04-10-2019 को मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (शिव शक्ति भोग ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1182 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 110/एक्ट/2019/110 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी (शिव शक्ति भोग ब्राण्ड) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर एवं राधा देवी पत्नी आसकरण निवासी मून्दडो का बास, देशनोक, तहसील व जिला बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-08-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दिनांक 25.02.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से शक्ति भोग घी का नमूना लिया। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैं इस माल का नहीं तो निर्माता हूँ व न ही रिपैकिंग करता हूँ। जैसा खरीद करता हूँ वैसा ही बिक्री करता हूँ। भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करूंगा और अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स से शिव शक्ति भोग देशी घी का नमूना भरा जो कि सब स्टेण्डर्ड पाया गया। मैंने जिस हालत में खरीदा उसी हालत में माहेश्वरी ब्रदर्स को विक्रय किया था। इसमें मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस मुकदमे से दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 110/एक्ट/2019/110 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (शिव शक्ति भोग ब्राण्ड) का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी काठडियों का चौक, साबु की बारी, नागौर पर रुपये 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये एवं राधा देवी पत्नी आसकरण निवासी मून्दडो का बास, देशनोक, तहसील व जिला बीकानेर पर रुपये 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये कुल रुपये 20,000/- अक्षरे रुपये बीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर